

15-02-2021

प्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपासक
नहीं आये हैं। आज न्यायालय में दोनों पक्षों
को, वकील पक्षकारान को तीन-तीन बार
पृथक-पृथक समय पर आवेजें लगायी
गयीं। आवेजें लगाये जाने के बावजूद
समय 5:00 सायं तक आज न्यायालय में
दोनों पक्षों में कोई भी पक्ष हाजिर नहीं
आये हैं। अतः वाद अंतर्गत धारा 138
राजस्थान कायदाओं के अन्तर्गत अदम
हाजिरी व अदम चेंदनी में एतदुद्देश
रकारिज किया जाता है। प्रावली कैसल
शुमार लेकर नंबर से कम हैकर दाखिल
दफ्तर है। आदेश आज खुले न्यायालय
में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व
न्यायालय मुहर से जारी किया जाता
है।

जुज
सोमर सेक

